2010:CGHC:7801

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक. 4829/2008

याचिकाकर्ता - संदीप कुमार श्रीवास्तव और अन्य

बनाम

उत्तरदातागण - छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

और

रि.या.(सेवा)क्रमांक. 5188, 6735 & 6736/2008 और रि.या.क्रमांक. 578/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेशों के उद्घोषणा हेतु दिनांक 22 फरवरी, 2010 को सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2010:CGHC:7801

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक. 4829/2008

<u>याचिकाकर्ता</u> - संदीप कुमार श्रीवास्तव और अन्य

बनाम

<u>उत्तरदातागण</u> - छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

और

रि.या.**(सेवा)क्रमांक**. 5188, 6735 & 6736/2008 और रि.या. क्रमांक. 578/2009

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएँ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

श्री अनूप मजूमदार और श्री रूप नायक, संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्तागण।

श्री वाई. एस. ठाकुर, राज्य के उप महाधिवक्ता।

श्री वाई. एस. ठाकुर, रि.या.क्रमांक. 4829 & 5188/2008 में उत्तरदाता क्रमांक. 3 के अधिवक्ता।

रि.या.क्रमांक. 6735/2008 में उत्तरदाता क्रमांक. 2 के लिए कोई उपस्थिति नहीं।

2010:CGHC:7801

श्री अखिलेश कुमार, अधिवक्ता, रि.या.क्रमांक. 6736/2008 में उत्तरदाता क्रमांक. 2 के अधिवक्ता श्री अरुण साव, की ओर से उपस्थित हुए।

श्री वाई.एस.ठाकुर, रि.या.क्रमांक. 578/2009 में उत्तरदाता क्रमांक. 2 & 3 के अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(दिनांक 2 फरवरी, 2010 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. रि.या.(सेवा)क्रमांक. 4829, 5188, 6735 & 6736 /2008 और रि.या.क्रमांक. 578/2009 में विधि के एक समान प्रश्न के साथ-साथ समान तथ्य भी शामिल हैं और इस प्रकार, सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इस समान आदेश द्वारा उनका निपटान किया जा रहा है।

2. इन रिट याचिकाओं में उत्तरदाता क्रमांक. 1 द्वारा जारी किए गए निर्देश/निदेश दिनांक 3-1-2008 (समस्त रिट याचिकाओं में अनुलग्नक – पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसमें शिक्षा कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 1-1-2009 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

2010:CGHC:7801

3. रिट याचिका(सेवा) क्रमांक. 4829, 5188 और 6735/2008 में अविवादित तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 14-1-2008 (रिट याचिका क्रमांक. 4829/2008 में अनुलग्नक – पी/2) के विज्ञापन के अनुसरण में शिक्षा कर्मी ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि चयन दिनांक 1-12-2007 के ज्ञापनों के अनुसार और छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 (संक्षेप में "नियम, 2007") के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य द्वारा आक्षेपित ज्ञापन दिनांक 3-1-2008 के माध्यम से तैयार और परिचालित आदर्श विज्ञापन में, आयु अर्हता के लिए सीमांत तिथि 1-1-2009 थी, जिसका अर्थ यह था कि 1-1-2009 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और राज्य द्वारा दी गई अन्य स्वीकार्य छूटों के साथ 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. विज्ञापन की तिथि पर, रिट याचिका(सेवा) क्रमांक. 4829 / 2008 में याचिकाकर्ता क्रमांक.1 (संदीप कुमार श्रीवास्तव) की आयु 35 वर्ष से कम थी और याचिकाकर्ता क्रमांक. 2 (दीपक कुमार मिश्रा) की आयु 20-3-2006 को 35 वर्ष से अधिक थी तथा वह ग्रीन कार्ड धारक होने के कारण दो वर्ष की

2010:CGHC:7801

छूट का हकदार था। रिट याचिका क्रमांक. 5188/2008 और रिट याचिका(सेवा) क्रमांक. 6735/2008 में याचिकाकर्ताओं की आयु 40 वर्ष से कम थी, वे आरक्षित श्रेणी के थे और इस प्रकार, वे आयु छूट के लाभ के हकदार हैं।

6. चयन की उचित प्रक्रिया के बाद भी, याचिकाकर्ताओं को नियुक्त नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, चयन सूची में याचिकाकर्ताओं से नीचे के अन्य अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया था। अपात्र अभ्यर्थियों की सूची रिट याचिका क्रमांक. 4829 / 2008 के अनुलग्नक – पी/8 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी जिसमें यह कथन किया गया था कि अधिक आयु होने के कारण याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया गया। दिनांक 1-1-2009 की तिथि पर याचिकाकर्ता अधिकतम आयु सीमा से बाहर थे। इस प्रकार, ये रिट याचिकाएँ दायर की गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक. 6736 / 2008 और रिट याचिका (सेवा) क्रमांक. 578 / 2009 में अविवादित तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः शिक्षा कर्मी ग्रेड-I और ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिनांक 14-1-2008 (रिट याचिका क्रमांक. 6736 / 2008 में अनुलग्नक – पी/5) और विज्ञापन दिनांक 12-1-2008 (रिट याचिका क्रमांक. 578 / 2009 में अनुलग्नक – पी/4) के अनुसरण में आवेदन किया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि

2010:CGHC:7801

चयन दिनांक 1-12-2007 के ज्ञापनों के अनुसार और नियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

8. श्री मजूमदार, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उत्तरदाता प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को खारिज करना अवैध और नियम, 2007 के प्रतिकूल था। नियम, 2007 के अंतर्गत, शिक्षाकर्मी के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ३५ वर्ष निर्धारित की गई थी, इसलिए, अधिकतम आयु सीमा पर विचार करने की प्रासंगिक तिथि विज्ञापन की तिथि थी, क्योंकि नियम, 2007 में कोई सीमांत तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। यदि सीमांत तिथि को विज्ञापन की तिथि माना जाता है, तो याचिकाकर्ता अपनी संबंधित श्रेणियों के अनुसार निर्धारित आयु सीमा से अधिक नहीं होंगे। उत्तरदाता प्राधिकारियों की कार्यवाही अतार्किक, अवैध और अकारण है; जिसके परिणामस्वरूप, जिन अभ्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें चयनित कर लिया गया है। आयु सीमा निर्धारित करने के लिए सीमांत तिथि का विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर और श्री अखिलेश कुमार ने निवेदन किया कि विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से

2010:CGHC:7801

उल्लेखित था कि चयन नियम, 2007 और उस पर लागू होने वाले पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार किए जा रहे हैं। शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष थी, जैसा कि नियम, 2007 में निर्धारित है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट का प्रावधान था। आयु में छूट का लाभ दिए जाने के पश्चात भी, याचिकाकर्ता निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं। श्री ठाकुर ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य सफल अभ्यर्थियों को, विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों को जो चयन सूची में निचले स्थान पर थे और नियुक्त किए गए थे, पक्ष/उत्तरदाताग्ण के रूप में शामिल नहीं किया है। यदि याचिकाकर्ता इन याचिकाओं में सफल होते हैं, तो अन्य चयनित अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति सेवा समाप्ति में परिणत हो जाएगी। अतः, ये रिट याचिकाएं आवश्यक पक्षकारों को शामिल न करने के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं हैं, और अभिवचनों तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

11. नियम, 2007 की अनुसूची-II शिक्षाकर्मी ग्रेड-I, ग्रेड-II और ग्रेड-III के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित करती है। नियम,

2010:CGHC:7801

2007 में यह कहीं भी उपबंधित नहीं है कि आयु के संबंध में सीमांत तिथि क्या होगी। विज्ञापन में भी सीमांत तिथि के संबंध में—चाहे वह दिनांक 01-01-2009 हो या दिनांक 01-01-2008—कोई उल्लेख नहीं है। सिवाय इसके कि चयन दिनांक 01-12-2007 के ज्ञापन के अनुसार और नियम, 2007 के पश्चातवर्ती संशोधनों सहित प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। याचिका क्रमांक 4829/2008 में विज्ञापन दिनांकित 14-01-2008 को प्रकाशित हुआ था। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 09-02-2008 थी। परीक्षा की तिथि दिनांक 30-03-2008 थी। याचिका क्रमांक 4829/2008 में याचिकाकर्ताओं द्वारा संलग्न किया गया दस्तावेज़ पृष्ठ 13 (अनुलग्नक – पी/1) विज्ञापन का प्रारूप प्रतीत होता है। यह एक मॉडल विज्ञापन है, जिसे संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा जारी किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.जनपद पंचायतों, कसडोल, तिल्दा, बालोद और बेमेतरा द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के मामले में, आयु सीमा के लिए निर्धारित सीमांत तिथि 01-01-2008 थी।

13.यह एक सुस्थापित विधि है कि यदि आयु सीमा के साथ-साथ योग्यता के लिए भी सीमांत तिथि न तो विज्ञापन में और न ही नियम, 2007 में

2010:CGHC:7801

निर्धारित है, तो यह विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होनी चाहिए।

14.इस संबंध में, विज्ञापन या अधिसूचना में कोई तिथि निर्दिष्ट न होने की स्थिति में, सीमांत तिथि क्या होनी चाहिए, यह प्रश्न अब कोई विचारणीय मुद्दा नहीं रहा है।

15.सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1] मामले में अवलोकन किया कि:

> "20. अपेक्षित शैक्षिक अर्हता का अधिकार अनिवार्य है। इसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। यदि अनिश्चितता को प्रचलित होने दिया जाता है, तो नियोक्ता के पास अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदनों की बाढ़ आ जाऐगी। संबंधित अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से सीमांत तिथि, इसलिए, निर्धारित की जानी चाहिए। नियम की अनुपस्थिति में या विज्ञापन में कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित न होने की स्थिति में, इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि यह होगी कि यह आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि होनी चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2007) 4 SCC 54

2010:CGHC:7801

16. "**दिपितिमयी परिडा बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य**[2] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि "सामान्यतः, भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता या अतिरिक्त अर्हता पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।"

17. इस न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि अन्य जनपद पंचायतों ने सीमांत तिथि 01-01-2008 दी थी। वर्तमान मामलों में, यद्यपि कोई सीमांत तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्राधिकारियों ने ज्ञापन दिनांक 03-01-2008 (अनुलग्नक – पी/1) के साथ परिसंचारी मॉडल विज्ञापन के आधार पर सीमांत तिथि 01-01-2009 मानी है। अतः उन अभ्यर्थियों के उद्देश्य से सीमांत तिथि, जिन्होंने शिक्षाकर्मी के पद पर चयन के लिए आवेदन किया है, संबंधित विषय विज्ञापन में आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी, क्योंकि मॉडल विज्ञापन में उल्लेखित सीमांत तिथि को सीमांत तिथि नहीं माना जा सकता है। ऐसा करने के दो आधार हैं: पहला; यह आंतरिक परिपत्र था और दूसरा; यह उन अभ्यर्थियों के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसरण में प्रतिक्रिया दी और शिक्षाकर्मियों के पद पर चयन के लिए आवेदन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पूर्वोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत मामलों पर, उनके चयन और नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, यदि संबंधित विषय विज्ञापन में

2 (2008) 10 SCC 687

2010:CGHC:7801

अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ताओं के मामलों पर आयु में छूट देने के लिए भी विचार किया जा सकता है, यदि यह कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमेय है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्त अभ्यर्थियों को इस आधार पर परेशान नहीं किया जाएगा कि उन्हें इन याचिकाओं में पक्षकार/ उत्तरदातागण के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

19.उपरोक्त अवलोकनों और निर्देशो के साथ, रिट याचिकाएं निराकृत की जाती हैं।

20.वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ritu Sarna Gandhi